



# सहभागिता गारंटी प्रणाली- भारत

## (पीजीएस-इंडिया)

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,  
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,  
आईएनएम प्रभाग



स्थानीय जैविक बाजार के विकास को बढ़ावा देने और छोटे और सीमांत किसानों को जैविक प्रमाणीकरण तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा भागीदारी गारंटी प्रणाली-भारत (PGS-India) नामक एक विकेन्द्रीकृत जैविक खेती प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है। यह लागत प्रभावी, किसान-अनुकूल और परेशानी मुक्त है।

"भागीदारी गारंटी प्रणाली स्थानीय रूप से केंद्रित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है। उत्पादकों को हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के आधार पर प्रमाणित किया जाता है और विश्वास, सामाजिक नेटवर्क और ज्ञान के आदान-प्रदान की नींव पर बनाया जाता है"। जैविक कृषि के मामले में, PGS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समान परिस्थितियों में रहने वाले लोग (इस मामले में उत्पादक) एक-दूसरे की उत्पादन प्रथाओं का आकलन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं और सामूहिक रूप से समूह की पूरी जोत को जैविक घोषित करते हैं।



फसल उत्पादन



एकल उत्पादक



समूह प्रमाणन (LG)



बड़ा क्षेत्र प्रमाणन (LAC)




शुपालन एवं अन्य: पशुधन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन आदि



प्रसंस्करण और हैंडलिंग

### स्थानीय समूह



### Local Groups



Getcert Pvt. Ltd.

Office No. 204, 2nd Floor, Raj Mall, Anand Nagar, Nanded, Maharashtra State-431605.

Phone: +91 97646 69544, +91 88852 32999

[www.getcert.co.in](http://www.getcert.co.in)

[contact@getcert.co.in](mailto:contact@getcert.co.in)

## जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल

- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी-एनईआर)
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
- स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी): गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती।
- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)
- भागीदारी गारंटी प्रणाली- भारत (पीजीएस-भारत)

### पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के लाभ

- प्रक्रियाएँ सरल हैं, दस्तावेज़ बुनियादी हैं, और किसान इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय भाषा को समझते हैं।
- सभी सदस्य स्वयं जैविक खेती करते हैं, इसलिए वे प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझते हैं।
- सहकर्मी मूल्यांकनकर्ता एक ही गाँव में रहते हैं, इसलिए उनके पास निगरानी तक बेहतर पहुँच होती है और लागत कम होती है।
- क्षेत्रीय PGS समूहों के बीच पारस्परिक मान्यता विपणन के लिए बेहतर नेटवर्किंग सुनिश्चित करती है।
- उत्पादक समूह प्रमाणन प्रणाली के विपरीत, PGS प्रत्येक किसान को व्यक्तिगत प्रमाणपत्र प्रदान करता है, और किसान समूह से स्वतंत्र होकर अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- PGS तब तक पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करता है जब तक उत्पाद PGS समूह की हिरासत में रहता है, जो PGS को स्थानीय प्रत्यक्ष बिक्री और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष व्यापार के लिए आदर्श बनाता है।

### गेटसर्ट प्राइवेट लिमिटेड

- गेटसर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक तृतीय-पक्ष निरीक्षण और प्रमाणन निकाय है, जिसे क्षेत्रीय परिषद (RC) द्वारा PGS इंडिया प्रोग्राम के तहत भी अधिकृत किया गया है। टिकाऊ कृषि और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने और ऐसे टिकाऊ व्यवसाय से निकलने वाले उत्पादों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 2017 में स्थापित किया गया।
- उपलब्ध प्रमाणन: राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP), कनाडा ऑर्गेनिक रिजिम (COR), भागीदारी गारंटी प्रणाली- भारत (PGS-India)
- IOAS (अंतर्राष्ट्रीय जैविक प्रत्यायन सेवाएँ) द्वारा ISO/IEC 17065 के तहत भी मान्यता प्राप्त है।)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क:



गेटसर्ट प्रा. लि.

कार्यालय क्र. २०४, दूसरी मंजिल, राज मॉल, आनंद नगर, नांदेड़, महाराष्ट्र राज्य - ४३१६०५.

संपर्क: +91 97646 69544, +91 88852 32999

[www.getcert.co.in](http://www.getcert.co.in)

[contact@getcert.co.in](mailto:contact@getcert.co.in)

**RCNF**

क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र,

अमरावती रोड, एनएच-6, गांव-गोंडखैरी, पोस्ट-वाडी कलमेश्वर, नागपुर-440023 (महाराष्ट्र)

[biofmh10@nic.in](mailto:biofmh10@nic.in)

